न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ. (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	जी.सी.एम.एस	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
55/2020	2020/00123	27.12.2019	24.12.2020

श्री हक्मा पुत्र श्री सुखा मीणा उम्र व्यस्क निवासी उदपुरा तहसील छोटीसादड़ी

:– अपीलार्थी

–: बनाम :–

श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी (राज.)

:– विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश नामान्तरकण संख्या 105/10.02.1990 तहसीलदार छोटीसादड़ी

उपस्थिति :–
1. श्री बाबुलाल पालीवाल अपीलार्थी
2. पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक 29.12.2020

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 10.02.1990 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम साटोला की आराजी संख्या 1172 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि अपीलार्थी के दिगर खातेदार सुखा पिता भेरा जी मीणा के नाम दर्ज रिकार्ड थी।

उक्त भूमि अपीलार्थी के पिता श्री सुखा द्वारा दिनांक 01.06.1987 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से श्री बालु पिता लाला मीणा निवासी उदपुरा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ को अन्तरित की गई थी किन्तु पुनः उक्त भूमि श्री बालु पिता लाला मीणा द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.09.1988 से अपीलार्थी के पक्ष में विक्रय किया गया जिसके आधार पर विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 10.02.1990 को निष्पादित हुआ किन्तु नामान्तरकरण तस्दीककर्ता (भू.अ.नि) एवं स्वीकृतकर्ता तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा विक्रित भूमि पर कब्जे के अभाव में उक्त नामान्तरकरण न्याय एवं विधियों के विरूद्ध निरस्त कर दिया गया जिसे दुरस्त फरमाया जाना अति–आवश्यक हैं

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर विवादित नामान्तरकरण को निरस्त फरमा अपीलार्थी द्वारा पंजीकृत विक्रय आधार पर क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी क्रेता के नाम पर दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किए गए जिनकी बाद तामील रिपोर्ट रेस्पोडेन्टगण की ओर से पेरोकार सरकार राजस्व उपस्थित हुए।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी एवं अपीलार्थी स्वयं द्वारा अपील में वर्णित कथनों को दोहराते हुए विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 10.02.1990 को निरस्त फरमाने तथा पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 02.09.1988 के आधार पर क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल अपीलार्थी के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया।

इसी प्रकृम में दौराने बहस पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में विवादित नामान्तरकरण के संबंध में प्रचलित विधियों के तहत अपील अपीलार्थी मेरिट आधार पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड क्रमशः विवादित नामान्तरकण संख्या 105 दिनांक 10.02.1990 एवं पंजीकृत विक्रय विलेख छाया प्रतियां दिनांक 01.06.1987 एवं 02.09.1988 तथा नामान्तरकरण हेतु प्रचलित विधियों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि विवादित नामान्तरकरण मात्र कब्जे के अभाव में निरस्त किया जाना दर्शित रिकार्ड पाया गया है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल की उकल पीठ द्वारा जब्बर सिंह एवं अन्य बनाम डुंगरमल व अन्य के प्रकरण में स्पष्ट किया गया है कि पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर तस्दीक होने वाले नामान्तरकरण अन्तर्गत कब्जे संबंधि जांच आवश्यक नहीं है। (2003 आरआरडी 276) तथा नामान्तरकरण संबंधि सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णरू 1955 आर.एल.डब्लु (रिवेन्यू सप्लीमेंट) 140 रामचन्द्र बनाम शंकर 1955 आर.आर.डी. 216 रामचन्द्र बनाम श्री शंकर, 1970 आर.आर.डी. 92 गोटू बनाम धनीराम व 1994 आर.आर.डी. 548 श्रीमती माजी लक्षमण कुमारी बनाम आन्नद सिंह के द्वारा भी स्पष्ट एवं अभिनिर्धारित किया गया अन्तरण (टांसफर) के मामले में नया इन्द्राज आधार होगा अर्थात पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण कार्यवाही हेतु कब्जा साक्ष्य की जांच परीक्षा आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 स्वतः अपास्त योग्य है तथा उक्त नामान्तरकरण वर्ष 1990 से संदर्भित पंजीकृत विक्रय विलेख से इतर कोई नामान्तरकरण हेतु प्रचलित दस्तावेजों का समावेश अथवा खरीद फरोक हुआ हो की तस्दीक के साथ राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि के शीर्षक स्थापना हेतु नवीनतम युक्ति–युक्त नामान्तरकरण वांछित प्रतीत होता है। साथ ही प्रकरण मेरिट आधार पर उचित पाया जाने से मियाद बाधित नहीं मानते हुए स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसील छोटीसादड़ी द्वारा निष्पादित विवादित नामान्तरकरण संख्या 105 दिनांक 10.02.1990 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार छोटीसादडी को निर्देशित किया जाता है कि विवादित नामान्तरकरण से संबंधित भूमि के संबंध में अससरेनों कार्यवाही अमल में लाई जाकर विधिवत् नामान्तरकरण पारीत करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/12/20

(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ़

Scanned with CamScanner